लोक सेवा आयोग, उ0प्र0

विज्ञापन संख्या- ए-2/ई-1/2003

उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003

आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि: 19 दिसम्बर, 2003 डाकघरों के माध्यम से आवेदन पत्र वितरण की तिथि : 22 नवम्बर, 2003

आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन उ. प्र. लोक सेवा आयोग के वेबसाइट http://uppsc.nic.in पर भी उपलब्ध है।

2. इस परीक्षा में अ0प्र0आर, आवेदन पत्र स्वीकार नहीं है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र विज्ञापन में अंकित सूचनों में दिए गए हजारों में से किस कार्य को पूरा कर सकते हैं। अ.पी.सी. सिविल के आवेदन पत्रों (सामान्य अभिरुचि, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के स्थायी निवास निवासी के अधिक अभ्यर्थियों हेतु) का शुल्क रु. 150/- तथा अ.पी.आर. सिविल (उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु) का शुल्क रु. 80/- है। उ.प्र. के मूलनिवासी बैंकिंग अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपनी पूरक बैंकों के अनुसार ही जमा करेंगे।

3. अभ्यर्थी अपने अ0प्र0आर, आवेदन पत्र की छोटी छोटी त्रुटि अपने पास आवेदन पत्रों तथा भविष्य के सन्दर्भ में अ0प्र0आर, आवेदन पत्र के स्थान पर प्रस्तुत अवश्य करें।

उ.प्र. लोक सेवा आयोग, उ.प्र. न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु परिशिष्ट-1 में अंकित विषयों के विधिक परीक्षा केन्द्रों पर मार्च, 2004 में एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेगा।

परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा केन्द्रों का चयन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आयोग द्वारा व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

2. रिक्तियाँ :- रिक्तियों की कुल संख्या-347 है जिसमें उ.प्र. के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 72, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 07, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 94 हैं। समान्तर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 173 रिक्तियाँ अवधिरत हैं। शासनादेश संख्या-18/1/95-सी-2/1995 दि.सी.-1/97, दिनांक 20.9.97 में दिए व्यवस्थानुसार उ.प्र. के स्थायी निवास सेवायोजन के अंतर्गत की गई प्रतिबन्धात्मक संख्या उ.प्र. के मूलनिवासी बैंकियों को एक सीमित अवसर का लाभ प्रदान किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उ.प्र. के समाज के विकलांगों को आरक्षण दिया जाना अनुमन्य नहीं है।

नोट :- (1) आरक्षण का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थी समाचित प्राधिकारी केन्द्रों/ उपकेन्द्रों के माध्यम से इस विज्ञापन के परिशिष्ट-3 में मुद्रित निर्धारित प्रपत्र पर प्रवेश अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर ले तब उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाये। (2) अनधिकृत केन्द्रों के स्थायी अभ्यर्थी अ0प्र0आर, आवेदन पत्र में अपनी केन्द्रों/उपकेन्द्रों अवश्य अंकित करें। (3) इस में अंकित प्रोन्नति केन्द्रों का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल इस छूट से अंकित समझा जायेगा, जो आयोगे। (4) अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पहाड़ीय प्रदेश केन्द्रों के अंकित हर मूलनिवासी सीमेंट के उ.प्र. राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य केन्द्रों के अभ्यर्थी माने जायेंगे। (5) उ.प्र. न्यायिक सेवा नियमावली 2001 के नियम-8 के अन्तर्गत उ.प्र. की महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियाँ (1) जिला अनुज्ञा याचिका सं. - 13766/2001 मंजुला श्रीवास्तव बनाम हरिद्वार बाजपेई तथा अन्य, (2) जिला अनुज्ञा याचिका संख्या- 18822/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरिद्वार बाजपेई तथा अन्य, (3) जिला अनुज्ञा याचिका संख्या - 628/2001 कु. निवेदिता श्रीवास्तवा बनाम हरिद्वार बाजपेई तथा अन्य, (4) जिला अनुज्ञा याचिका संख्या-18824/2001 उ.प्र. राज्य बनाम हरिद्वार बाजपेई तथा अन्य (5) जिला अनुज्ञा याचिका संख्या - 18/2001 कु. निवेदिता श्रीवास्तवा बनाम हरिद्वार बाजपेई तथा अन्य, उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन होंगी। अभ्यर्थियों/महिलाओं से निवेदन है कि उपरोक्त वाद याचिकाओं की समझा कर लें।

3. वेतनमान :- 9000-250-10750-300-13150-350-14350

4. वैधानिक अपेक्षा :- (1) उ.प्र. के किसी द्वारा न्यायिक किसी विश्वविद्यालय से या राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिये गठित द्वारा संस्था द्वारा विधि विश्वविद्यालय के डिग्री के समतुल्य अर्हता होना आवश्यक है। अथवा (ख) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रयोजनों के अधीन न्यायालय कोई अधिवक्ता या इसके या भारत अथवा किसी अन्य राज्य में अधिवक्ता के रूप में नामांकित व अधिवक्ता के व्यवसाय का कोई व्यवसाय और वह व्यवसाय या उसके अधिकार न्यायालय में व्यवसाय करने का हकदार होना आवश्यक है। (2) देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान आवश्यक है।

5. आयु सीमा :- अभ्यर्थियों की 01 जुलाई, 2004 को 22 वर्ष की आयु आवश्यक पूरी कर ली होनी चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात अभ्यर्थी जन्म 02 जुलाई, 1969 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1982 के बाद का नहीं होना चाहिए। परन्तु उ.प्र. के अनुसूचित जाति, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति एवं उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी। इसी प्रकार उ.प्र. के स्थायी सशस्त्र सेवानिवासी के अभ्यर्थी तथा उ.प्र. के मूलनिवासी बैंकियों हेतु भी आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी। उ.प्र. न्यायिक सेवा (सशोधन) नियमावली, 2003 के प्रावधान के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01 जुलाई, 2001 एवं 01 जुलाई, 2002 को आयुसीमाओं में थे वे भी इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे।

परन्तु किसी अभ्यर्थी को अन्तर प्रदेश की अनुमति की संख्या अधिकतम छह होगी। अन्तर की संख्या इस प्रारम्भिक परीक्षा में सम्मिलित होने से ही आयोगे।

शासनादेश सं. 17/2/1981-कार्मिक-2, दिनांक 28 फरवरी 1986 के प्रावधानों के अनुसार संघ के अन्यसमावेशीय क्षमतीय प्रथम अधिकारियों/अन्यसमावेशीय सेवा क्षमतीय प्रथम अधिकारियों महिला, पूर्वतर हैसियों तथा क्षमतीय प्रथम उ.प्र. अधिकारियों के बच्चे, जिनके संघ में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा हो गई हो, निर्धारित आयु सीमा में अधिकतम पाँच वर्ष तक की छूट, सैनिकदल को अन्तर पाचक, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो आवेदन पत्र अधिकार दिए जाने की अन्तिम तिथि से 3 वर्ष तक की अवधि में अवलंबुत होने वाले हों। परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नहीं होगी:- (1) जो स्वयंसर अथवा अनुशासन के कारण सेवायोजन पूर्व हों, (2) जो सेना की सेवा में अस्थायी नियुक्ती आने वाली सर्वोत्तिक अपेक्षाओं अथवा अवसर अवलम्बनों के कारण सेवा मुक्त हुए हों।

शासनादेश संख्या - 22/21/1983-कार्मिक-2, दिनांक 28.11.1985 के अनुसार राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वरीयुक्त खेलों के कुशल खिलाड़ियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं।

6. शुल्क :- आवेदन पत्रों के विक्रय के समय उस पर परीक्षा शुल्क, आवेदन पत्र का शुल्क एवं डाक व्यय = रु. 150 (रु. 100 + 20 + 30) एक साथ लिया जायेगा। अभ्यर्थियों को शुल्क हेतु अलग से कोई डैमड ड्राफ्ट अथवा ट्रेजरी चालान जमा नहीं करना होगा। आवेदन पत्रों का शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के स्थायी सशस्त्र सेवानिवासी के अधिक अभ्यर्थियों हेतु रु. 150/- होगा तथा उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रु. 80/- (रु. 40 + 20 + 30) होगा। उ.प्र. के मूलनिवासी बैंकिंग अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपने पूरक बैंकों के अनुसार ही जमा करेंगे। उ.प्र. के बाहर के सभी अभ्यर्थी सफलता पूर्वक जमा हो गये आवेदन करें। अधिकता वैकी का आवेदन पत्र भरने पर विचार कर दिया जायेगा। आवेदन पत्रों के साथ किसी अन्य के चालान/ड्राफ्ट किसी भी दशा में स्वीकार नहीं जायगा। केवल शासनादेश आवेदन पत्र मूल रूप में स्वीकार जायेगे, परन्तु उनका शुल्क जमा नहीं होगा।

7. आवेदन कैसे करें :- आयोग द्वारा अ0प्र0आर, आवेदन पत्र निर्देशों सहित पूरी से दर्शाए गए हजारों में से कोई एक शुल्क प्रकार (ट्रेजरी चालान जमा नहीं करना होगा) आवेदन पत्रों का शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के स्थायी सशस्त्र सेवानिवासी के अधिक अभ्यर्थियों हेतु रु. 150/- होगा तथा उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रु. 80/- (रु. 40 + 20 + 30) होगा। उ.प्र. के मूलनिवासी बैंकिंग अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपने पूरक बैंकों के अनुसार ही जमा करेंगे। उ.प्र. के बाहर के सभी अभ्यर्थी सफलता पूर्वक जमा हो गये आवेदन करें। अधिकता वैकी का आवेदन पत्र भरने पर विचार कर दिया जायेगा। आवेदन पत्रों के साथ किसी अन्य के चालान/ड्राफ्ट किसी भी दशा में स्वीकार नहीं जायगा। केवल शासनादेश आवेदन पत्र मूल रूप में स्वीकार जायेगे, परन्तु उनका शुल्क जमा नहीं होगा।

2. आवेदन कैसे करें :- आयोग द्वारा अ0प्र0आर, आवेदन पत्र निर्देशों सहित पूरी से दर्शाए गए हजारों में से कोई एक शुल्क प्रकार (ट्रेजरी चालान जमा नहीं करना होगा) आवेदन पत्रों का शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के स्थायी सशस्त्र सेवानिवासी के अधिक अभ्यर्थियों हेतु रु. 150/- होगा तथा उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रु. 80/- है। आवेदन पत्र भरने के निर्देश का चालान अवश्य वर्ग अभ्यर्थी आवेदन पत्र निशान कर दिया जायेगा।

सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र वरिष्ठ, विज्ञापन संख्या - ए-2/ई-1/2003 लोक सेवा आयोग, उ.प्र., इलाहाबाद-211 004 को दिनांक 19 दिसम्बर, 2003 की अपराह्न 5.00 बजे तक. अथवा उससे पूर्व दी/भरने हाल द्वारा अथवा हस्तोपरान्त अवश्य पहुँच जाने चाहिए। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जायेंगे। इसके इस आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कारण पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

8. अभ्यर्थी की पूर्वी :- अलाव (262 001), अलीगढ़ (202 121), इलाहाबाद (उ.प्र. (211 001), इलाहाबाद कचहरी (211 002), इलाहाबाद सिविल लाइन्स (211 001), इलाहाबाद (उत्तरांचल) 211 008, इलाहाबाद सिटी 211 003, अम्बेडकर नगर (अकबरपुर)-224 122, अमरोहा-244 222, अरुणाचल-276 001, आजमगढ़-243 001, आगरा-282 002, आगरा-271 001, आगरा-282 001, आगरा कैंट-282 001, आगरा-271 001, आगरा-282 007, आगरा-282 010, आगरा-282 001, आगरा-282 004, आगरा-282 005, आगरा-282 006, आगरा-282 003, आगरा-282 008, आगरा-282 009, आगरा-282 010, आगरा-282 011, आगरा-282 012, आगरा-282 013, आगरा-282 014, आगरा-282 015, आगरा-282 016, आगरा-282 017, आगरा-282 018, आगरा-282 019, आगरा-282 020, आगरा-282 021, आगरा-282 022, आगरा-282 023, आगरा-282 024, आगरा-282 025, आगरा-282 026, आगरा-282 027, आगरा-282